...सिंह बनाम नारायणसिंह 159/17 लगातार

दिनांक	हुक्म कार्यवाही मय इनिषियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुए
13/12/19	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 3 पैरोकार उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 1 से 2 के अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली में विप्रार्थी संख्या 3 की ओर से मौका रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। प्रार्थी व विप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की खातेदारी भूमि मौजा आसाडी, पटवार मण्डल आसाडी तह0 गडररोड़ के खेत खसरा नम्बर 652/309 रकबा 45.14 बीघा, खसरा नम्बर 309 रकबा 45.13 बीघा के आये हुए है। प्रार्थी व विप्रार्थीगण संख्या 1 से 2 के उक्त सभी खसरो की भूमि पूर्व में संयुक्त थी तथा मुल खसरा नम्बर 309 थे। उक्त भूमि के लट्ठा नक्शा में की गई तरमीम व पक्षकारान के मौके पर कब्जा काश्त में भारी भिन्नता है। अतः प्रार्थी ने उक्त तरमीम दुरूस्ती का आवेदन प्रस्तुत किया है। विप्रार्थी संख्या 1 से 2 की ओर से वकील श्री कैलाशसिंह राठौड़ उपस्थित हुए एवं प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गडरारोड़ से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार तरमीम दुरूस्ती किये जाने का निवेदन किया। हमने उभय पक्ष अधिवक्ताओ को सुना व तहसीलदार गडरारोड़ से प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार गडरारोड़ से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार उभय पक्ष तरमीम दुरूस्त करवाने बाबत सहमत है। मौका फर्द के संलग्न वर्तमान तरमीम अनुसार नक्शा ट्रेंस तथा वास्तविक राजस्व रेकर्ड में अंकित रकबा स्थिति में काफी अन्तर है। दोनो में एकरूपता बनाये रखने की दृष्टि से विवादित भूमि की तरमीम प्रस्तावित नक्शा अनुसार लट्ठा नक्शा मे तरमीम दुरूस्त किया जाना अदालत उचित समझती है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की खातेदारी भूमि मौजा आसाडी पटवार मण्डल आसाडी तह0 गडरारोड़ के खेत खसरा नम्बर 652/309 रकबा 45.14 बीघा, खसरा नम्बर 309 रकबा 45.13 बीघा उक्त सभी खसरों की भूमि पूर्व में संयुक्त थी तथा मूल खसरा नम्बर 309 बीघा भूमि की लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम निरस्त करते हुए मौका फर्द के संलग्न निरीक्षक भू- अभिलेख गिराब द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित तरमीम नक्शा अनुसार दुरस्त करने के आदेश पारित किये जाते है। तहसीलदार गडरारोड़ को इसी अनुसार लट्ठा नक्शा में तरमीम दुरूस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। मौका फर्द के संलग्न नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। निर्णय आज दिनांक 13.12.2019 सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो। उपखण्ड अधिकारी शिव	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratap Singh
Date: 2020.01.10 17:04:43 IST
Reason: SelfAttested